

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, — ~~खैरवाड़ा~~  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, २०२१ कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान..... ~~खैरवाड़ा~~.....

—:आदेश:—

~~वडा~~ प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भूअ.नि.  
की रिपोर्ट तथा ~~खैरवाड़ा~~ तहसीलदार ~~खैरवाड़ा~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में ग्राम ..... लकोडा ..... तहसील ~~खैरवाड़ा~~ जिला  
की जमाबन्दी सम्वत् २०७५-२०७८ में खाता संख्या ..... १५० ..... में वर्तमान में दर्ज  
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
L	लकोडा	150	देवी लाल पुत्र रामा मीणा	देवी लाल पुत्र रामा मीणा

(  
उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, \_\_\_\_\_  
खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)

कमांक :- २०२१/६९९

दिनांक :- ०३/१२/२०२१

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार, ~~खैरवाड़ा~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- प्रार्थी श्री ~~देवी लाल पुत्र रामा मीणा~~ को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

(  
उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, \_\_\_\_\_  
खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट पत्रवाही व कु.अ.मि.

सरोदपत्री ग्राम लकौडा की गमावंदी अवत 2018-2018 की खाल सभ

150 मे खालेदार देवा पुत्र रामा रिखल 1/40 जाति मीना के नाम डर्ज रिखाई है। जहरी जापी के आधार कार्ड कोर नीर कापी के नाम देवीसाल पुत्र रामा है। जापी के नाम देवा व देवीसाल केने से ही गमावेंदी लेकि खालेदारी लजावात के एरे देवीसाल के नाम से गाल पाहाई। अतः जापी का नाम खुदिका देवा पुत्र रामा के बजाय देवीसाल पुत्र रामा किया जाना उचित है।

Diner  
01/12/21  
ICR काल

P. D.  
4. 11. 21  
जिला-उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट कु.अ.मि. व.स.का की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम लकौडा की खाल सभ ~~150~~ 150 मे खालेदार देवा पुत्र रामा के बजाय देवीसाल पुत्र रामा करने की अमिबांवा की जाती है।

तहसीलदार-खेरवाड़ा  
जिला-उदयपुर

आदेश

तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम लकौडा के खाल सभ 150 मे खालेदार का नाम देवा पुत्र रामा के बजाय देवीसाल पुत्र रामा करने की स्वीकृति दी जाती है।

उदयपुर जिला-उदयपुर (राज.)